मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014-आषाढ़ 27, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

मैं, पूर्व में अपना नाम शैलेन्द्र कुमार अहिरवार लिखता था. जिसमें अब मैंने अपना सरनेम सिंह कर लिया है, अब मुझे शैलेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना जाये व पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, निजी व कानूनी पत्र व्यवहार में सम्बोधित किया जावें.

पुराना नाम :
(शैलेन्द्र कुमार अहिरवार)

नया नाम :
(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
आत्मज श्री बारेलाल अहिरवार,
बी-230, वैष्णव अपार्टमेंट,
डी-ब्लॉक, सुरेन्द्र पैलेस, भोपाल.

(195-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Nitin Girdonia son of Shri R. K. Girdonia Employed as Assistant Engineer (Cc) in office of the Executive Engineer (Testing) Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, Civil Lines, Khandwa residing at 16, Professor Colony, Khandwa have changed the name of minor daughter hitherto konwn as Mansavi aged 17 Years and she shall hereafter be known as MANSVI for the purpose of correction of wrong entries occurred in School Records due to parental mistake.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Nitin Girdonia (Father)
Manju (Mother)

(164-B.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम संकेत सिंह चौहान था, जिसे बदलकर अभिमन्यु सिंह चौहान हो गया है. अत: मुझे अभिमन्यु सिंह चौहान के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(संकेत सिंह चौहान)

नया नाम :
(अभिमन्यु सिंह चौहान)
पता-109/23, शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र.).

(163-बी.)

CHANGE IN NAME

I, SUJATA TRIVEDI here by declare that after marriage. I have change my name as SUJATA AGRAWAL W/o SHARAD AGRAWAL. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :
(SUJATA TRIVEDI)

New Name :
(SUJATA AGRAWAL)
W/o Sharad Agrawal,
Add—303, Prime View Appt. 74-75,
Baikunthdham Colony,
Indore (M.P.).

(186-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, हर्ष ने अपना नाम परिवर्तन कर हर्ष पटेल कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(हर्ष)

नया नाम :
(हर्ष पटेल)
पता—316, कंचन विहार अपार्टमेन्ट,
कंचन बाग, इन्दौर (म. प्र.).

(187-बी.)

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी पुत्री का सही नाम साक्षी मूंदडा है जबकि उसके स्कूल रिकॉर्ड में उसका नाम साक्षी माहेश्वरी लिखा गया है जो कि गलत है और त्रुटीवश लिखा गया है. अत: अब उसे स्कूल सहित सभी जगह पर एक समान साक्षी मूंदडा नाम से लिखा पढ़ा जावे.

संजय मूंदडा (पिता)
113-114, अनूप नगर, (म.प्र.).

(190-बी.)

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सुरेश कुमार था. जिसमें मैंने अपना उपनाम जोड़कर सुरेश कुमार धनिया कर लिया है. अब मुझे सुरेश कुमार धनिया नाम से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(सुरेश कुमार)

नया नाम :
(सुरेश कुमार धनिया)
सुप्रीम प्लाजा, सिविल लाइन थाने के सामने,
सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.).

(189-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती कीर्ति अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल शपथ करती हूँ कि मेरी मार्कशीट में मेरा नाम कुमारी कीर्ति भार्गव पुत्री श्री मनोहर लाल भार्गव, पता विरला नगर, तानसेन रोड़, ग्वालियर है. जो कि अब शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती कीर्ति अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल हो गया है. अत: अब भविष्य में मुझे मेरे नए नाम से जाना-पहचाना जावे. समस्त सूचित हों.

शपथकर्ता—श्रीमती कीर्ति अग्रवाल पत्नी श्री राजेश अग्रवाल.

पुराना नाम :
(कुमारी कीर्ति भार्गव)

नया नाम :
(कीर्ति अग्रवाल)
पत्नी श्री राजेश अग्रवाल,
पता-टी. यू.-14, इंडस सेटेलाइट ग्रीन्स,
एम. आर.-12, लासुडिया चौकी,
विजय नगर, इन्दौर.

(193-बी.)

स्थान परिवर्तन सूचना

सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मे. विजय स्टील कार्पोरेशन जिसका पूर्व में पता-203, प्रिसेंस सेन्टर 6/3, न्यू पलासिया, इन्दौर, म. प्र. था, का नया पता ई. डी. 102, सेक्टर-डी, स्कीम नं. 94, इन्दौर, म. प्र. हो गया है. वह दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील है. अगर किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिवस में नये पते पर सूचित करें.

मे. विजय स्टील कार्पोरेशन,
मोहन साहनी,
भागीदार.

(188-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि फर्म ओम फूड इंडस्ट्रीज का फर्म के रजिस्ट्रार में क्रमांक 60 वर्ष 2003 दिनांक 21-07-2003 में लिया गया है. जिसका पता एलयूएन शेड नं. 8, सेक्टर-I, गोविंदपुरा, भोपाल.

किन्तु दिनांक 26-05-14 को उपरोक्त भागीदारी का सभी भागीदारों द्वारा फर्म को स्वेच्छा से भंग कर दिया है एवं यह भी तय किया है कि उक्त फर्म की प्रोपाईटर रूपा आर्या रहेंगी इसके लिये किसी भी वर्तमान पार्टनर को कोई भी आपत्ति नहीं है.

भवदीय : वास्ते
फर्म का नाम-ओम फूड इंडस्ट्रीज,
रूपा आर्या
(प्रोपराइटर).

(191-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मुस्कान इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपर्स स्थित 15, चाचौड़ा रोड, बीनागंज, जिला गुना, म. प्र. में दिनांक 21-03-2012 को भागीदार बावूलाल घोसी पुत्र श्री जवाहरलाल घोसी, निवासी चाचौड़ा रोड, गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक से मनोज कुमार मीना पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीना, निवासी चाचौड़ा रोड, गुना एवं धर्मेन्द्र सिंह मीना पुत्र श्री भीधाराम मीना, निवासी ग्राम चुलवारकापुरा, पो. वधरेटा, तहसील कैलारस, जिला मुरैना फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

अनिरुद्ध सिंह मीना,
फर्म-मुस्कान इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपर्स
15, चाचौड़ा रोड, बीनागंज, जिला गुना (म. प्र.).
द्वारा-अमित सौगानी (एडवोकेट)
सौगानी एण्ड कम्पनी, नयापुरा, गुना (म. प्र.).

(192-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. पटेरिया इंटरप्राइजेस यह एक भागीदारी फर्म होकर इसके वर्तमान भागीदार श्री केशव हीरालालजी पटेरिया एवं श्री गौरव पिता केशव पटेरिया यह हैं. सदर फर्म भू-खण्ड क्रमांक 182 सेक्टर 1, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला धार (म. प्र.) पर अपना व्यवसाय संचालित कर रही है. सदर भागीदारी फर्म से मूलत: श्रीमती सरजूबाई हीरालाल पटेरिया, श्री केशव हीरालाल पटेरिया तथा श्री मुकेश हीरालाल पटेरिया यह भागीदार थे. सदर फर्म का गठन रजिस्टार ऑफ फर्म्स के तहत दिनांक 20-03-1985 को किया हुआ रहा है. श्रीमती सरजूबाई पटेरिया की मृत्यु पश्चात् श्री केशव पटेरिया तथा श्री मुकेश पटेरिया यह भागीदार बने. कालांतर में श्री मुकेश पटेरिया द्वारा फर्म के भागीदार के हैसियत से अपना नाम वापस लेने के उपरांत वर्तमान में श्री केशव पटेरिया एवं श्री गौरव पटेरिया सदर फर्म के भागीदार है. श्री मुकेश पटेरिया का अब सदर फर्म से किसी प्रकार का कोई संबंध रहा नहीं है तथा फर्म के किसी भी गतिविधि आदि के लिए मुकेश पटेरिया उत्तरदायी नहीं रहेंगे. फर्म की समस्त गतिविधियां वर्तमान भागीदार श्री केशव पटेरिया एवं श्री गौरव पटेरिया द्वारा ही संचालित की जा रही है तथा भविष्य में की जावेगी. संवैधानिक रूप से सदर फर्म की ओर से श्री केशव पटेरिया ही वित्तीय संस्थान बैंक सहकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालय आदि सभी जगहों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत रहेंगे.

For : PATERIA ENTERPRISES

केशव हीरालाल पटेरिया

पार्टनर,

(194-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री श्री रेणुकामाता स्थान धार्मिक, शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय पता—21/1, बीजासन कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर की ओर से आचार्य श्री प्रवीण शरद पानसे, निवासी—21, बीजासन कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड़, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री श्री रेणुकामाता स्थान धार्मिक, शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	21/1, बीजासन कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड़, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 24 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(582)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जगतगुरू रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामनरेशाचार्य जी महाराज धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास, कार्यालय पता—10, नवरतन बाग, इंदौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री मुकेश यादव पता—392/17, नंदा नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	जगतगुरू रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामनरेशाचार्य जी महाराज धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास.
कार्यालय पता	:	10, नवरतन बाग, इंदौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति	:	35/1, नंदा नगर, मेनरोड स्थित मकान कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट जिस पर दो मंजिल मकान बना है. अनुमानित कीमत 9,73,500/- (अक्षरी रुपये नौ लाख-तिहेत्तर हजार पाँच सौ मात्र).
चल सम्पत्ति	:	रु. 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 24 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(582-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

हजरत नफीज मिया नक्शबंदी चेरीटेबल ट्रस्ट, कार्यालय पता—75, इल्यास कॉलोनी, खजराना, इंदौर की ओर से आचार्य श्री हयात उल्ला पिता हजरत नफीस अहमद, निवासी—75, इल्यास कॉलोनी, खजराना, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	हजरत नफीज मिया नक्शबंदी चेरीटेबल ट्रस्ट,
कार्यालय पता	:	75, इल्यास कॉलोनी, खजराना, इंदौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 28 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(582-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

गेंदीबाई अग्रवाल ट्रस्ट, कार्यालय पुराना 9 नया 162, रानीपुरा, इंदौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री गोपालदास पिता रतनलाल अग्रवाल, निवासी--16, स्नेहलतागंज, इंदौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	गेंदीबाई अग्रवाल ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	पुराना 9 नया 162, रानीपुरा, इंदौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	म्युनिसीपल म. नं. पुराना 9 नया 162, रानीपुरा, इंदौर, मध्यप्रदेश कुल क्षेत्रफल 682.47 वर्गफीट जिस पर तीन मंजिला मकान बना है. वर्तमान कीमत 32,33,000/- (अक्षरी रुपये बत्तीस लाख, तैंतीस हजार मात्र)
चल सम्पत्ति	:	रु. 711/- (अक्षरी रुपये सात सौ ग्यारह मात्र).

आज दिनांक 13 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(582-C)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर

दिनांक 30 जून, 2014

प्र. क्र. 03/बी-113 (1)/2013-14. प्रो. 806, दिनांक 30 जून, 2014

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

''श्री बाबासा नातु स्मृति सेवा न्यास समर्पण भवन, केशव नगर, हाफिज कॉलोनी, मन्दसौर, म. प्र.''

2. चूँकि ''श्री बाबासा नातु स्मृति सेवा न्यास मन्दसौर'' द्वारा मुख्य न्यासधारी अध्यक्ष डॉ. विष्णुसेन पिता मांगीलाल कछावा, नि. 87, चारभुजा मार्ग, मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 अगस्त, 2014 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अत: मैं, जमुना भिड़े, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 अगस्त, 2014 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 6 अगस्त, 2014 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष

उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण :— ट्रस्ट की सभी चल-अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छाया प्रतियां संलग्न है जो निम्न प्रकार हैं.—

1. अचल सम्पत्तिः—खुला भू-खण्ड एवं भवन योजना 14/2, विकास नगर, विस्तार नीमच केंट वार्ड नं.-26, भू-खण्ड क्र.-354, जिला नीमच कीमत 40 लाख रुपये (चालीस लाख रुपये मात्र) विक्रय पत्र दिनांक 25-03-2014.

2. चल सम्पत्तिः—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कलेक्ट्रोरेट केम्पस, मन्दसौर, बचत खाता क्र. 33647728543 में जमा राशि 10,100/- रुपये (दस हजार एक सौ रुपये) है.

लोक न्यास का नाम "श्री बाबासा नातु स्मृति सेवा न्यास समर्पण भवन, केशव नगर, हाफिज कॉलोनी, मन्दसौर, म. प्र."

जमुना भिड़े,
पंजीयक.

(563)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग पुनासा, जिला खण्डवा

प्र. क्र. /बी-113(1)/2013-14. दिनांक 27 जून, 2014 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं

मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत]

जैसा कि आवेदक श्री त्रिलोक पटेल, निवासी ग्राम कोरगला, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर, समाज परमार्थिक न्यास, मंधाता (ओंकारेश्वर) द्वारा अखिल भारतीय गुर्जर, समाज परमार्थिक न्यास, मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 27 जुलाई, 2014 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	..	अखिल भारतीय गुर्जर, समाज परमार्थिक न्यास, मांधाता (ओंकारेश्वर), तहसील मांधाता, जिला खंडवा.
चल सम्पत्ति	..	रुपये 4,41,100/- नगद, (चार लाख इकतालीस हजार एक सौ रुपये.)
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.

पी. एल. बकावले,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(564)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, पब्लिक ट्रस्ट, बरेली, जिला रायसेन

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (30 सन् 1951) और 5 (1) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूची में दिये गये सिद्ध घाट स्थान ट्रस्ट स्थित सिद्ध धाट ग्राम थाला दिघावन, तहसील उदयपुरा की जायदाद, मध्यप्रदेश निजी ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा उप धारा (4) के अन्तर्गत निजी ट्रस्ट है.

अतैव मैं, ओ. पी. सोनी, पंजीयक ट्रस्ट उक्त एक्ट की धारा-5 की उपधारा (1) के अनुसार अपने न्यायालय में दिनांक 31 जुलाई, 2014 इस मामले की जाँच करना चाहता हूँ.

अत: यह सूचना दी जाती है कि निम्नांकित ट्रस्ट का कोई व्यक्ति ट्रस्ट की कार्यवाही में सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति रुचि रखने वाला आपत्ति या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो लिखित उत्तर दो प्रतियों में सूचना प्रकाश की एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करें और उपरोक्त दिनांक को स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अधिसूची

(निजी न्यास का नाम व पता और चल/अचल संपत्ति का विवरण)

निजी न्यास का नाम व पता :—श्री कृष्ण दास आयु लगभग 34 वर्ष, आ. श्री लाल बिहारी दास, निवासी सिद्ध घाट, ग्राम थाला दिघावन, तहसील उयपुरा, जिला रायसेन.

(1) कार्यकारी न्यासी एवं प्रबंधकों का विवरण—

01.	श्री कृष्णदास आ. श्री लालबिहारी दास, निवासी सिद्धघाट, ग्राम दिघावन, तह. उदयपुरा.	अध्यक्ष
02.	श्री अविनाश आ. श्री कृष्णदास जी, निवासी सिद्धघाट, ग्राम दिघावन, तह. उदयपुरा.	अध्यक्ष के निजी सहायक
03.	श्रीमति शशिप्रभा आ. श्री रामपाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम केवट पिपरिया, तह. उदयपुरा.	उपाध्यक्ष
04.	श्री राजीव शुक्ला आ. रविशंकर शुक्ला, नि. देवरी, तहसील उदयपुरा.	सचिव
05.	श्री अजय गुप्ता आ. श्री फूलचंद गुप्ता, नि. तेन्दूखेडा, जिला नरसिंहपुर.	कोषाध्यक्ष
06.	श्री उदयप्रताप सिंह आ. राव लक्ष्मीनारायण सिंह निवासी लोलरी, राजमार्ग , जिला नरसिंहपुर.	सदस्य
07.	श्री उमाशंकर आ. विष्णुप्रसाद शर्मा, नि. ब्रम्हानगर, उदयपुरा.	सदस्य
08.	श्री राजकुमार आचार्य आ. श्री शंकर आचार्य, नि. करेली, जिला नरसिंहपुर.	सदस्य
09.	श्री नवीन अग्रवाल आ. श्री नरेन्द्र अग्रवाल, नि. कस्बा नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर.	सदस्य
10.	श्री नरेन्द्र शर्मा आ. श्री दर्शनप्रसाद शर्मा, कस्बा गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर.	सदस्य

1. न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की नीति न्यास विलेख के अनुसार रहेगी.

2. न्यास सृजित करने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे संलग्न दस्तावेज के अनुसार रहेंगे.

3. न्यास के संबंध में यदि कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे संलग्न दस्तावेज न्यास विलेख के अनुसार रहेंगे.

(अ) अचल सम्पत्ति का विवरण—

1. कृषि भूमि स्थित ग्राम दिघावन प. ह. नं. 24/25, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश, खसरा क्र. 457 रकबा 1.06 एकड़, कुल लगान 0.87 पैसा जो वर्तमान में श्री सिद्धनाथ मंदिर, व्यवस्थापक कृष्णदास ब्रम्हचारी, ग्राम दिघावन, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है.

2. यह कि ग्राम थाला दिघावन, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश में निर्माणाधीन मंदिर भूमि में 50 × 70 = 3500 वर्गफिट वर्तमान अनुमानित लागत 5 लाख रुपये.

3. दादाजी की कुटी 18 × 22= 396 वर्गफिट तीन कमरे पक्का निर्माण लागत 3 लाख रुपये.

4. भवन क्र. (1) 4 कमरे पक्का निर्माण 30 × 70 = 2100 वर्गफिट अनुमानित लागत 15 लाख रुपये.

5. भवन क्र. (2) 54 × 54 = 2916 वर्गफिट अनुमानित लागत 10 लाख रुपये.

(ब) चल सम्पत्ति का विवरण—

1. लायब्रेरी : अनुमानित कीमत लगभग 50 हजार रुपये

2. 8 गाय : अनुमानित कीमत लगभग 40 हजार रुपये

3. बर्तन : अनुमानित कीमत लगभग 05 हजार रुपये

4. हवन आदि सामग्री : अनुमानित कीमत लगभग 5 हजार रुपये

कुल परिसंपत्तियों का अनुमानित मूल्य 36,00,000/- रुपये

(2) आय-व्यय का ब्यौरा एवं संचालन विधि—

1. ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त आय, दान राशि, भेंट आदि का ब्यौरा लिखित में आय-व्यय की पंजी में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जावे.

2. प्रतिवर्ष 31 मार्च तक आय-व्यय का ब्यौरे का पत्रक सम्पूर्ण ट्रस्टियों का आहूत की गई बैठक में रखा जावेगा.

3. सुझाव एवं टिप्पणी पर विचार कर अगले वर्ष हेतु व्यय का बजट/आंकलन/प्रस्ताव यथा संभव पूर्ण जानकारी के प्रस्तुत किये जावेंगे.

4. आय राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के सम्मिलित खाते में रखी जावेगी तथा आवश्यकतानुसार व्यय की जावेगी.

न्यासी एवं प्रबंधक अवैतनिक रूप से कार्य करेंगे किन्तु न्यास के सदस्यों को कार्य यात्रा भत्ता न्यास के खाते से भुगतान किया जावेगा.

1. स्थापना एवं कर्मचारियों पर व्यय— . .

2. धार्मिक उद्देश्यों पर व्यय— . .

3. सहातार्थ व्यय—वर्तमान में लागू नहीं.

4. अन्य मदों पर व्यय—वर्तमान में लागू नहीं.

5. अन्य विवरण—न्यास की सदस्यता प्रबंध कारकों का गठन, उद्देश्य, दैनिक कार्यों की देखरेख वित्तीय कार्यों की देखरेख, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य से संबंधित है.

उक्त प्रस्तावित न्यास के सदस्यों/प्रबंधकों के सम्बन्ध में भी यदि किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 31 जुलाई, 2014 को अथवा उसके पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है.

ओ. पी. सोनी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(565)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खुरई, जिला सागर

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, खुरई, जिला सागर मध्यप्रदेश के समक्ष.

चूँकि श्री कल्यानसिंह पिता श्री फूलसिंह राजपूत एवं अन्य निवासी, ग्राम रोडा, तहसील मालथौन, जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास

अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे समक्ष न्यायालय में दिनांक 12 अगस्त, 2014 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12 अगस्त, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्ताबित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासीगण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन दिनांक के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं सम्पत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम :—	श्री देव गणपति जी महाराज हाजा खैरापति एवं श्री देव हनुमान जी मंदिर सार्वजनिक न्यास रोडा, तहसील मालथौन, जिला सागर मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति : —	10,000.00 रुपये
अचल सम्पत्ति :—	03.88 हैक्टर भूमि कीमत 19 लाख रुपये.

सुरेश अग्रवाल,
पंजीयक.

(566)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, बड़वानी

समस्त पशु स्वामियों एवं पशु चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम-4 के अन्तर्गत आने वाले निम्नांकित आरक्षित वन क्षेत्रों में आने वाले वृक्षारोपण क्षेत्र दिनांक 1 जुलाई, 2014 से आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की चराई के लिये प्रतिबंधित घोषित किये जाते हैं. जो पशु स्वामी, चरवाहे वन क्षेत्रों में पशु/मवेशी चराते हुए पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वन नियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:—

अ. क्र.	परिक्षेत्र	चराई से प्रतिबंधित स्थल	कक्ष क्रमांक	वर्ष	हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
1.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1157	2008-09	50.00
2.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, जीवाणी	1151	-,,-	50.00
3.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोषर	1181	-,,-	50.00
4.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,,-	50.00
5.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, चेरवी	1164	-,,-	50.00
6.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सिरसपानी	1164	-,,-	50.00
7.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, गोलगांव	1173	-,,-	50.00
8.	-,,-	आदिवासी उपयोजना, बिलबारा	1173	-,,-	50.00

1	2	3	4	5	6
9.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	1169	2008-09	50.00
10.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सिरसपानी	1169	-,,-	50.00
11.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1157	-,,-	40.00
12.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	1151	-,,-	50.00
13.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	1158	-,,-	50.00
14.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	1181	-,,-	30.00
15.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1164	-,,-	35.00
16.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	1151	-,,-	65.00
17.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, लेखडा	1164	-,,-	110.00
18.	राजपुर	वृक्षारोपण राजपुर, जलगोन	1003	2008-09	45.00
19.	-,,-	वृक्षारोपण राजपुर, बोबलवाडी	1004	-,,-	55.00
20.	बोकराटा	बिगड़े वनों का सुधार, बोकराटा	1247	2009-10	20.00
21.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	1274	-,,-	20.00
22.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	1259	-,,-	50.00
23.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,,-	40.00
24.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, पीपरकुण्ड	1219	-,,-	50.00
25.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1231	-,,-	50.00
26.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1232	-,,-	30.00
27.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, भूरवानी	1190	-,,-	50.00
28.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ	1246	-,,-	50.00
29.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,,-	65.00
30.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, कामोद	1175	-,,-	75.00
31.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रोषमाल	1261	-,,-	70.00
32.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,,-	50.00
33.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रानीकाजल	1236	-,,-	100.00
34.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, भानिजकुण्ड	1261	-,,-	40.00
35.	पाटी	बिगड़े वनों में सुधार, बिलवारा	1172	2010-11	51.15
36.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, मान्याखेत	1151	-,,-	45.89
37.	-,,-	बिगड़े वनों में सुधार, सागबारा	1157	-,,-	69.81

1	2	3	4	5	6
38.	पाटी	बिगड़े वनों में सुधार, मेंढकीमाल	1162	2010-11	51.76
39.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,,-	20.00
40.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, कुली घोंघसा	127	-,,-	20.00
41.	-,,-	भूमि संरक्षण योजनाएं, मगरपाटी	88	-,,-	50.00
42.	राजपुर	मिश्रित रोपण, बोबलवाडी	1004	2010-11	25.00
43.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, दानौद	27	-,,-	10.00
44.	-,,-	ओंकारेश्वर निधि, कुसमरी	1003	-,,-	28.00
45.	-,,-	ओंकारेश्वर निधि, बोबलवाडी	1004	-,,-	19.00
46.	-,,-	ओंकारेश्वर निधि, ठीकरी	993	-,,-	23.00
47.	-,,-	मिश्रीत वृक्षारोपण, दानौद	1021	-,,-	30.00
48.	-,,-	मिश्रीत वृक्षारोपण, खडकी	P-329	-,,-	50.00
49.	-,,-	चारागाह विकास, उपला	31	-,,-	59.00
50.	-,,-	चारागाह विकास, मोरानी	36	-,,-	34.71
51.	-,,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,,-	57.32
52.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	1	-,,-	35.00
53.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	-,,-	50.00
54.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, अंजदी	8	-,,-	50.00
55.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सगाईमोडी	15	-,,-	40.00
56.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, दानौद	27	-,,-	30.00
57.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, खडकी	329	-,,-	50.00
58.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोबलवाडी	1004	-,,-	25.00
59.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, जलगोन	1003	-,,-	45.00
60.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, बोबलवाडी	1004	-,,-	55.00
61.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, दानौद	27	-,,-	10.00
62.	-,,-	चारागाह विकास, निहाली	14	-,,-	64.00
63.	-,,-	चारागाह विकास, उपला	31	-,,-	77.49
64.	-,,-	चारागाह विकास, उपला	38	-,,-	76.96
65.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, बांदरकच्छ	P-321	-,,-	30.00
66.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, बांदरकच्छ	P-321	-,,-	45.00
67.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, बघाड़ी	P-322	-,,-	65.00

1	2	3	4	5	6
68.	राजपुर	वृक्षारोपण कार्य, बघाड़ी	P-323	2010-11	50.00
69.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, दानौद	27	-,,-	50.00
70.	-,,-	वृक्षारोपण कार्य, चकेरी	P-319	-,,-	10.39
71.	बोकराटा	बिगडे वनों में सुधार, बेडीफरतला	1178	-,,-	69.71
72.	-,,-	बिगडे वनों में सुधार, बन	1214	-,,-	49.78
73.	-,,-	बिगडे वनों में सुधार, रामगढ	1259	-,,-	37.74
74.	-,,-	बिगडे वनों में सुधार, देवगढ	1240	-,,-	47.93
75.	-,,-	बिगडे वनों में सुधार, बोरकुंड	1187	-,,-	70.80
76.	-,,-	बिगडे वनों में सुधार, मोरानी	1244	-,,-	71.43
77.	-,,-	बिगडे वनों में सुधार, झरार	1229	-,,-	54.53
78.	-,,-	बिगडे वनों में सुधार, मतरकुंड	1226	-,,-	33.91
79.	-,,-	बिगडे वनों में सुधार, हाटबावडी	1261	-,,-	58.88
80.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	10.00
81.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, हरला	203	-,,-	10.00
82.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,,-	10.00
83.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, पिपरकुंड	231	-,,-	10.00
84.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, चोकी	211	-,,-	10.00
85.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, हाटबावडी	279	-,,-	10.00
86.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीवाडी	259	-,,-	10.00
87.	-,,-	उर्जावन एवं चारागाह विकास, शिवनी	226	-,,-	10.00
88.	-,,-	आर. डी. एफ., बेडीफरतला	183/2	-,,-	46.74
89.	-,,-	आर. डी. एफ., बोरकुंड	192/2	-,,-	47.75
90.	-,,-	आर. डी. एफ., मतरकुंड	231/2	-,,-	42.49
91.	-,,-	आर. डी. एफ., मोरानी	249/2	-,,-	22.50
92.	-,,-	आर. डी. एफ., रामगढ	264/2	-,,-	49.10
93.	बडवानी	उर्जावन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	1039	-,,-	10.00

1	2	3	4	5	6
94.	बडवानी	उर्जावन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	1066	2010-11	10.00
95.	-,,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,,-	48.34
96.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	42.53
97.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	57.99
98.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	72 II	-,,-	79.98
99.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	295 III	-,,-	51.33
100.	-,,-	चारागाह विकास, केली	284 II	-,,-	56.17
101.	-,,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60 II	-,,-	47.61
102.	-,,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,,-	65.86
103.	-,,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,,-	56.67
104.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	41	-,,-	54.82
105.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	61.21
106.	पाटी	आर. डी. एफ., बिलवारा	177/3	2011-12	60.43
107.	-,,-	आर. डी. एफ., मान्या खेत	156/2	-,,-	56.57
108.	-,,-	आर. डी. एफ., मेढकीमाल	167/2	-,,-	57.57
109.	-,,-	आर. डी. एफ., सागबारा	162/2	-,,-	51.34
110.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	115	-,,-	46.91
111.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कुली	131	-,,-	60.70
112.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेडी	108	-,,-	56.05
113.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	58.84
114.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	45.47
115.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,,-	45.02
116.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,,-	41.56
117.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	144	-,,-	60.65
118.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	67.66
119.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, मान्याखेत	1151	-,,-	50.00
120.	-,,-	मिश्रित वृक्षारोपण, सागबारा	1158	-,,-	50.00
121.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, अंजराडा/मगरपाटी	83	-,,-	10.00
122.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, कुली/घोंघसा	127	-,,-	20.00
123.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	10.00
124.	बोकराटा	आर. डी. एफ., बन	219/2	-,,-	42.50

1	2	3	4	5	6
125.	बोकराटा	आर. डी. एफ., हाटबावड़ी	266/2	2011-12	55.02
126.	-,,-	आर. डी. एफ., झरार	234/2	-,,-	37.90
127.	-,,-	आर. डी. एफ., देवगढ	245/2	-,,-	50.33
128.	-,,-	चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	39.81
129.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,,-	32.68
130.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,,-	50.93
131.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, हरला	103	-,,-	10.00
132.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, गोलपाटीबाडी	259	-,,-	10.00
133.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पोखल्या	279	-,,-	10.00
134.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पूर्व	211	-,,-	10.00
135.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, पीपरकुंड	231	-,,-	10.00
136.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, उबादगढ पश्चिम	226	-,,-	10.00
137.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,,-	36.49
138.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	192	-,,-	46.92
139.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,,-	57.60
140.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,,-	64.75
141.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुंड	231	-,,-	55.66
142.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ़	245	-,,-	43.77
143.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,,-	23.73
144.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ़	264	-,,-	58.23
145.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,,-	55.00
146.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बेडीफरतला	183	-,,-	50.31
147.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बोरकुण्ड	220	-,,-	28.99
148.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बन	219	-,,-	66.72
149.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, झरार	234	-,,-	49.81
150.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मतरकुण्ड	231	-,,-	74.89
151.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, देवगढ़	245	-,,-	43.73
152.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मोरानी	249	-,,-	57.22
153.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, रामगढ़	264	-,,-	41.28
154.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, हाटबावडी	266	-,,-	54.92

1	2	3	4	5	6
155.	बोकराटा	चारागाह विकास, जाई	206	2011-12	72.74
156.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ़ पूर्व	216	-,,-	45.75
157.	-,,-	चारागाह विकास, रोषमाल	270	-,,-	67.82
158.	बड़वानी	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	10.00
159.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	10.00
160.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	72.17
161.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	37.71
162.	-,,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,,-	63.22
163.	-,,-	चारागाह विकास, गोठानिया	41	-,,-	84.41
164.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	62.11
165.	-,,-	चारागाह विकास, सजवानी	56	-,,-	41.12
166.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	72	-,,-	102.57
167.	-,,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60	-,,-	50.82
168.	-,,-	चारागाह विकास, अतरसंभा	67	-,,-	65.84
169.	-,,-	चारागाह विकास, केली	285	-,,-	59.43
170.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,,-	63.17
171.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	51.03
172.	-,,-	चारागाह विकास, जाई	204	-,,-	49.47
173.	-,,-	चारागाह विकास, उबादगढ	216	-,,-	29.65
174.	-,,-	चारागाह विकास, गारा	269	-,,-	65.81
175.	-,,-	चारागाह विकास, नागलवाड़ी	36	-,,-	83.61
176.	-,,-	चारागाह विकास, खडक्यामऊ	31	-,,-	48.12
177.	-,,-	चारागाह विकास, मण्डवाडा	15	-,,-	55.39
178.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बलखड़	87	-,,-	50.79
179.	-,,-	भू-जल संरक्षण, अवल्दा	90	-,,-	40.01
180.	-,,-	भू-जल संरक्षण, पाल्या	91	-,,-	53.30
181.	-,,-	चारागाह विकास, केली	285	-,,-	32.70
			292		28.03
182.	-,,-	चारागाह विकास, मरदई	296	-,,-	18.96
			297		34.14
183.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	42	-,,-	44.54
184.	-,,-	चारागाह विकास, धाबाबावडी	45	-,,-	61.82

1	2	3	4	5	6
185.	बड़वानी	चारागाह विकास, सजवानी	56	2011-12	56.62
186.	-,,-	चारागाह विकास, बावनगजा	73	-,,-	76.56
187.	-,,-	चारागाह विकास, अंबापानी	60	-,,-	64.80
188.	पाटी	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2012-13	68.34
189.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,,-	44.98
190.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,,-	41.96
191.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	162	-,,-	44.02
192.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	51.98
193.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	108	-,,-	51.83
194.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	115	-,,-	47.75
195.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,,-	50.46
196.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	45.23
197.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	138	-,,-	54.26
198.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	142	-,,-	55.85
199.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,,-	46.73
200.	-,,-	ऊर्जा वन एवं चारागाह विकास, रोसर	182	-,,-	10.00
201.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, बिलबारा	177	2013-14	57.66
202.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मान्याखेत	156	-,,-	40.98
203.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, मेढकीमाल	167	-,,-	52.56
204.	-,,-	बिगड़े वनों का सुधार, सागबारा	163	-,,-	47.04
205.	-,,-	भू-जल संरक्षण, नलती	103	-,,-	34.59
206.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	108	-,,-	36.73
207.	-,,-	भू-जल संरक्षण, बोरखेड़ी	115	-,,-	57.39
208.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कूली	131	-,,-	58.79
209.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	136	-,,-	50.24
210.	-,,-	भू-जल संरक्षण, तुवरखेडा	148	-,,-	58.09
211.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	138	-,,-	49.20
212.	-,,-	भू-जल संरक्षण, कोटबांधनी	146	-,,-	41.12
213.	-,,-	चारागाह विकास, अंजराड़ा	74	-,,-	59.21
214.	-,,-	चारागाह विकास, लाईझापी	119	-,,-	67.40

बृजेन्द्र झा,

वनमण्डल अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा

विदिशा, दिनांक 21 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	वनदेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कूल्हन	598/10-01-02	1346/29-12-2010
2.	मसर्रत आफजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा	621/27-04-02	1346/29-12-2010
3.	हरिजन आदिवासी कामगार एवं कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरिया	506/30-09-94	1346/29-12-2010
4.	आदर्श कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, इकोदा	534/23-11-95	1346/29-12-2010
5.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कुरवाई	357/31-12-90	1346/29-12-2010
6.	शान्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा	619/27-04-02	1346/29-12-2010

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन मुद्रा से आदेश जारी किया गया.

अनिल कुमार सक्सैना,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(568)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, लटेरी, जिला विदिशा

लटेरी, दिनांक 09 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया	डी.आर./व्ही.डी.एस./725 23-03-2007	394/17-04-2014

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 9 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अरविंद रघुवंशी,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(569)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के परन्तुक के तहत]

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी संस्था/प्रवर्तक सदस्य
एवं सदस्यगण, समस्त
संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, जिला उज्जैन.

द्वारा— उपायुक्त, सहकारिता जिला उज्जैन.

उपरोक्त विषयांतर्गत संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, जिला उज्जैन (पंजीयन क्रमांक/डी.आर.यू.जे.एन./1736, दिनांक 08 दिसम्बर, 2009) के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 538/2013 में जारी आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 के परिपालन में प्रकरण की जाँच आयुक्त सहकारिता के निर्देशानुसार श्री बी. एस. वास्केल, संयुक्त आयुक्त मुख्यालय भोपाल द्वारा की गई जाँच अधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवेदन मुख्यालय के पत्र क्रमांक/विप./विसस/2014/742, दिनांक 06 मई, 2014 से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाकर संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 ए/क के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश दिये गये. तत्संबंध में उपायुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन से अधिनियम की धारा-18 ए/क (1) का प्रस्ताव संस्था के पंजीयन से संबंधित नस्ती एवं अन्य दस्तावेज सहित चाहा गया. उपायुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन द्वारा उक्त विषयक प्रस्ताव एवं नस्ती अपने पत्र क्रमांक/पंजीयन/2014/1402, दिनांक 20 जून, 2014 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई. जाँच प्रतिवेदन अनुसार संस्था द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म. प्र. भोपाल के परिपत्र क्रमांक/3719, दिनांक 29 नवम्बर, 1990 की कंडिका क्रमांक 2, 2, 6 एवं 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से एवं संस्था की अवैध पंजीयन की शिकायत में जाँच अधिकारी द्वारा 44 प्रवर्तक सदस्यों को पंजीयन के समय विभिन्न आधारों पर उनकी सदस्यता वैधानिक होना नहीं बतलाया है तथा पंजीयन प्रस्ताव के अ एवं ब पत्रक में भी फेरबदल करना पाया गया है. 44 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई है तथा अन्य 18 सदस्यों की सदस्यता भी उनके आवेदन अनुसार समाप्त की गई है. प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि पूर्व जाँच अधिकारी श्री परिहार द्वारा 44 सदस्यों की सदस्यता अवैध बताई गई है और संस्था के शेष सदस्यों की वैधता के संबंध में भी जाँच अधिकारी द्वारा शंका जाहिर की गई है. इससे स्पष्ट है कि संस्था के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा दुर्व्यपदेशन कर संस्था का पंजीयन कराया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 ए/क (1) के प्रावधान अनुसार ''यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सोसायटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है या जहाँ सोसायटी का कार्य पूर्ण हो चुका है या जिन प्रयोजनों के लिये सोसायटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है या उस सोसायटी ने जो सहकारी बैंक या विकास बैंक से भिन्न हो, शब्द ''बैंक'' ''बैंकर'' ''बैंकिंग'' और शब्द ''बैंक'' की कोई अन्य व्युत्पत्ति का प्रयोग किया है, तो वह उसके प्रमुख सम्प्रवर्तक, संचालक मंडल और सोसायटी के सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा.

इस प्रकार आयुक्त सहकारिता द्वारा कराई गई जाँच एवं उनके पत्र क्रमांक/विप./विसस/2014/742, दिनांक 06 मई, 2014 में दिये गये निर्देश अनुसार तथा जाँच में पाये गये निष्कर्षों के आधार पर मेरी (पंजीयक) की राय में प्रथम दृष्टया संस्था का पंजीयन आवेदकी द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर कराया गया है.

अत: उक्त आधार पर संजय ग्राम विपणन सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, जिला उज्जैन द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किये जाने एवं प्रवर्तक सदस्यों द्वारा दुर्व्यपदेशन कर संस्था का पंजीयन कराये जाने से क्यों न संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाए. इस संबंध में संस्था के प्राधिकृत अधिकारी/प्रवर्तक सदस्यों/सदस्यों को इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर दिनांक 28 जुलाई, 2014 नियत की जाती है. उक्त नियत दिनांक तक संस्था के प्राधिकृत अधिकारी/प्रवर्तक सदस्य/संस्था सदस्य इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना जवाब मय प्रमाण के प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18ए/क (1) के अन्तर्गत संस्था का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा एवं 18 ए (2) (3) के तहत अग्रिम वैधानिक कायवाही हेतु शासकीय समनुदेशिती की नियुक्ति करदी जाएगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

व्ही. पी. मारण,
संयुक्त पंजीयक.

(570)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	रूचि प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इटारसी	2646/09-03-1998	701/29-03-2014
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डोलरिया	2148/16-10-1982	706/29-03-2014
3.	कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ताकू	2977/22-07-2007	702/29-03-2014
4.	नीलम ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद	3044/12-01-2010	704/29-03-2014

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) का उपयोग में लाते हुए मैं, आर. के. दुगाया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि यदि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दे. अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

आर. के. दुगाया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(571)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम सहकारी संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ बीजासेन स्वायत्त साख सहकारिता, रांखेडी	81/03-06-2006	1057/10-09-2013
2.	शहीद भगतसिंह स्वायत्त साख सहकारिता, पचमढ़ी	87/21-02-2007	1057/10-09-2013
3.	राजीव गांधी स्वायत्त साख सहकारिता, पिपरिया	89/13-03-2007	1057/10-09-2013
4.	मीनाक्षी महिला स्वायत्त साख सहकारिता, मटकुली	04/28-02-2002	1057/10-09-2013
5.	महिला स्वायत्त साख सहकारिता, कुमहावत	27/20-03-2003	1057/10-09-2013
6.	आदर्श महिला स्वायत्त साख सहकारिता, मटकुली	36/17-07-2003	1057/10-09-2013
7.	दुर्गा महिला स्वायत्त साख सहकारिता, सिलारी	39/17-07-2003	1057/10-09-2013
8.	सांई पौध बीज क्रय-विक्रय सह. समिति, सेमरीखुर्द	3053/03-09-2010	705/29-03-2014
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांवलखेडा	2948/12-11-2007	709/29-03-2014
10.	माँ रेवा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भमेडी	2967/17-06-2008	707/29-03-2014
11.	श्रीसांई बीज क्रय विक्रय सहकारी समिति, रोहना	2731/10-04-2001	703/29-03-2014

अत: मैं, डी. पी. पाल, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (17 वां) सन् 1961 की धारा-71 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं समितियों के उपलब्ध लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित निधान एवं नियमों के अन्तर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से सम्बन्धित कोई भी कागजात, सामान देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

डी. पी. पाल,

(572) परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला रायसेन

आदिवासी पिछड़ा वर्ग मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुडियाखेडा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 01 अगस्त, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/13/1347 रायसेन, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु संस्था के परिसमापक को आवेदन प्रस्तुत करने के फलस्वरूप परिसमापक द्वारा नियमानुसार विशेष आमसभा आयोजित की गई. आमसभा के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर संस्था के परिसमापक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. परिसमापक के प्रतिवेदन संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण इस कार्यालय के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री ए. के. रावत से कराया गया. जिसमें यह पाया गया है कि समिति को तालाब जनपद पंचायत गैरतगंज के आदेश क्रमांक/591/मत्स्यपालन/ज.पं./2010 गैरतगंज, दिनांक 18 जून, 2010 के द्वारा पट्टा पर दिया गया है, जिसकी वर्ष दिनांक 30 जून, 2014 तक की पट्टा राशि जमा की जाकर समिति के सदस्यों द्वारा मत्स्याखेट किया जा रहा है. इस प्रकार समिति कार्यशील है.

अत: पारित प्रस्ताव/ठहराव एवं परिसमापक की अनुशंसा पर विचार कर सदस्यों की रूचि एवं उनके आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुये मैं, विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी पिछड़ा वर्ग मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुडियाखेडा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 01 अगस्त, 2005 को निम्नांकित शर्तों के अधीन पुनर्जीवित करता हूँ.

1. संस्था अविलंब उपविधि के अनुसार कार्य प्रारम्भ करेगी.
2. संस्था के द्वारा की गई प्रगति से कार्यालय को समय-समय पर अवगत कराया जाएगा.
3. संस्था सहकारी विधान अन्तर्गत अपना रिकार्ड संधारण कर अंकेक्षण करायेगी.

संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के लिये नामांकित करता हूँ :—

1.	श्री जयपाल	अध्यक्ष
2.	श्री आरीफ	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती शीला बाई	संचालक
4.	श्री सोहेल	संचालक
5.	श्री लखनलाल	संचालक
6.	श्री मुनीम	संचालक

7. श्री जुगराज	संचालक
8. श्री चतरसिंह	संचालक
9. श्री मोतीलाल	संचालक
10. श्री कमलेश	संचालक
11. श्री जगदीश	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 24 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप पंजीयक.

(573)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 20 जून, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत]

यह कि आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., फाटा (पंजीयन क्रमांक 1001, दिनांक 29 मार्च, 2006) की वर्ष 2012-13 की अंकेक्षण टीप का अवलोकन किया गया जिससे परिलक्षित हुआ कि संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है एवं संस्था अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत टीप के अनुसार संस्था के अंकेक्षण हेतु रिकार्ड अप्राप्त है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 शासन द्वारा प्रदत्त किये गये है, का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., फाटा (पंजीयन क्रमांक 1001, दिनांक 29 मार्च, 2006) को उपरोक्त आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यो न आपकी संस्था को धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाकर समिति की आस्तियों एवं दायित्व का निराकरण करने के उपरान्त धारा-18 (1) के तहत पंजीयन निरस्त करने हेतु धारा-70 (1) के तहत् परिसमापक की नियुक्ति की जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

अम्बरीष वैद्य,
उप पंजीयक.

(574)

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/31, दिनांक 05 जनवरी, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी विकासखण्ड डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 22 जुलाई, 2000 के गत वर्षों से अकार्यशील रहने समयावधि के अन्दर सदस्यता एवं हिस्सा राशि की वृद्धि न करने तथा म. प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रूचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नियत समयावधि तक संस्था की ओर से उत्तर अप्राप्त रहा. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) जिला डिण्डौरी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/अंके./2014/53, दिनांक 05 अप्रैल, 2014 द्वारा संस्था के विधि के प्रावधानानुसार अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने, संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य करने में रूचि न होने आदि से उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश की गई. उपरोक्त कारणों से पुन: कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2014/274, दिनांक 17 अप्रैल, 2014 द्वारा संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा नियत अवधि में कोई उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: समिति द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था का भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों की संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक पंजीयक सहकारी समितियां डिण्डौरी उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी विकासखण्ड डिण्डौरी पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 22 जुलाई, 2000 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की आस्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. एस. मरावी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक.

(575)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 03 जून, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क) (1),(2), (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2036.—यह कि ब्लू लाईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./592, दिनांक 22 जनवरी, 1995 का जिन प्रयोजनों के लिये पंजीयन किया गया था, उनकी पूर्ति पूर्ण हो गयी है. इस संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2013 संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री गजानंद पुराणिक की अध्यक्षता में संस्था की विशेष साधारण सभा की बैठक आयोजित की गयी जिसमें संस्था द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी सदस्यों की आवास समस्या का निराकरण हो चुका है. संस्था के पास अब कोई शेष भूखण्ड भी नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जावें. उक्त ठहराव-प्रस्ताव के साथ दिनांक 26 अप्रैल, 2013 को संस्था अध्यक्ष द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया. पुन: आवेदन में उल्लेख किया गया कि संस्था का गठन जिस उद्देश्य के लिये किया गया था. उसकी पूर्ति पूर्ण हो गयी है. इसके पश्चात् कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक/परिसमापन/13/1696, दिनांक 29 मई, 2013 द्वारा ब्लू लाईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को परिसमापन में लाये जाने की वस्तुस्थिति का परीक्षण करने के लिये डॉ. निधी भदौरिया को परीक्षण करने के लिये आदेशित किया गया है. डॉ. निधी भदौरिया द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2014 को संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन अनुसार संस्था द्वारा अपने सदस्यों की आवास समस्या हल करने के प्रयास किये गये एवं 32 सदस्यों को भूखण्डों का आवंटन भी वर्ष 2001 से 2004 के मध्य कर दिया गया. वर्ष 2004 के पश्चात् संस्था द्वारा कोई भी जमीन क्रय नहीं की गयी है.जिससे किसी सदस्य को भूखण्ड आवंटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, संस्था के वर्तमान सभी सदस्यों द्वारा आमसभा में यह निर्णय लिया जा चुका है कि संस्था जिस उद्देश्य के लिये बनायी गयी थी. वह पूर्ण हो चुका है. आमसभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने संस्था में अपनी जमा अंश पूंजी भी चाही है. जिससे अब संस्था को अस्तिव में बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया जावे.

अत: मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिन प्रयोजनों के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था. उनकी पूर्ति पूर्ण हो गयी है एवं भविष्य में कोई और कार्य करने की योजना नहीं होने से संस्था का अस्तित्व में बना रहना औचित्यपूर्ण नहीं है एवं संस्था के सदस्यों के हित में नहीं है.

अत: मैं, जगदीश कनोज, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्लू लाईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक डी. आर./आय.डी.आर./592, दिनांक 22 जनवरी, 1995 का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-18 (ए/क) (1) के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(2) के अन्तर्गत श्री मनोहर निमोदिया, सहकारी निरीक्षक को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त कर यह निर्देशित करता हूँ कि वे अधिनियम की धारा-18(ए/क)(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के भीतर संस्था की आस्तियों की वसूली एवं दायित्वों के परिसमापन की कार्यवाही करें.

यह आदेश आज दिनांक 03 जून, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जगदीश कनोज,
उप-आयुक्त.

(576)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/221.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अपना महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./....., दिनांक ..... को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अपना महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/222.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिपेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा माँ रेणुका महिला उप. सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2084, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को लिखा जाकर

लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षण की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये माँ रेणुका महिला उप. सहकारी भण्डार मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-A)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/223.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा के. डी. एन. महिला भण्डार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1823, दिनांक 05 फरवरी, 2001 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये के. डी. एन. महिला भण्डार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-B)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/224.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा कृष्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1928, दिनांक 25 सितम्बर, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये कृष्णा महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-C)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/225.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा आलिया महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1954, दिनांक 2 जनवरी, 2006 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आलिया महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-D)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/226.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा हमीद डिपाटमेन्टल स्टोर्स सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1920, दिनांक 30 जून, 2004 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें

अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये हमीदा डिपाटमेन्टल स्टोर्स सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-E)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/227.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा नेपानगर प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./ 449, दिनांक 09 मई, 1952 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)

के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये नेपानगर प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-F)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/228.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रशंसा महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1646, दिनांक 08 जुलाई, 1997 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये प्रशंसा महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-G)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/229.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा आशादेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2001, दिनांक 05 मार्च, 2007 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आशादेवी महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-H)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/230.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अष्टविनायक महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2002, दिनांक 25 मार्च, 2007 को

लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अष्टविनायक महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., नेपानगर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-I)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/231.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा भारत महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1690, दिनांक 31 मार्च, 1999 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये भारत महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., शाहपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-J)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/232.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा अम्बा महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बोरगावखुर्द, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1678, दिनांक 17 सितम्बर, 1998 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये अम्बा महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बोरगावखुर्द को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा

में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-K)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/233.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा सुभाष नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./50, दिनांक 20 जून, 1978 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये सुभाष नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(579-L)

बुरहानपुर, दिनांक 28 मार्च, 2014

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2014/234.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 एवं नियम, 1962 के नियम क्रमांक 50 में हुये नवीन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराने का दायित्व निर्धारित करते हुये वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों के अतिरिक्त सनदी लेखापाल से वैधानिक संपरीक्षा कराने की वैकल्पिक सुविधा

विहित की जाकर संपरीक्षा करने हेतु विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल की नियुक्ति हेतु संस्था की साधारण सभा की अधिकृतिका प्रावधान किया गया है. इसी तारतम्य में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ऑडिट/2013/69, दिनांक 17 जुलाई, 2013 तथा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/21, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के द्वारा विजयनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./2007, दिनांक 31 मार्च, 2008 को लिखा जाकर लेख किया गया था कि संस्था के वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु प्रेषित करें अथवा सनदी लेखापालन की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय को अवगत करावें. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव अथवा जानकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई. संस्थाओं द्वारा वैधानिक अंकेक्षण के आदेश जारी न होने पर मुख्यालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 संस्था की पंजीकृत उपविधि एवं विभागीय निर्देशों का पालन करने में संस्था कोई रुचि नहीं ले रही है, इससे स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बन्द कर दिया है.

उक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये विजयनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि, इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय-वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप-पंजीयक.

(579-M)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014-आषाढ़ 27, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, उमरिया, सीधी, बुरहानपुर, मण्डला जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), मण्डला, विछिया, नैनपुर, निवास, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला)में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**—जिला दमोह में समस्त रबी फसलों में 25% से 60% तक व अनूपपुर में ओलावृष्टि से आंशिक क्षति हुई है.

5. **कटाई.**—जिला कटनी में फसल मसूर व धार, बुरहानपुर, होशंगाबाद में चना व डिण्डोरी, दमोह में मसूर, मटर व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर व दतिया में मसूर, राई-सरसों, मटर तथा इन्दौर बैतूल में रबी फसल सिवनी में दलहन फसलनों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
***जिला मुरैना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. मसूर, राई-सरसों, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
6. नई सराय	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्स्वाहा	. .				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. मटर एवं मसूर की कटाई का कार्य चालू है. समस्त रबी फसलों में 25% से 60% तक क्षति.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम. चना, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी कम. अरहर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ओलावृष्टि से आंशिक क्षति हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	8.0		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	14.4		(2) . .		
3. कोतमा	1.0				
4. पुष्पराजगढ़	6.7				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	14.4		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	16.0		(2) . .		
3. मानपुर	3.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर 3.6 9.0 1.0 5.0 3.5 0.5	2. . .	3. . . 4. (1) अलसी, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मटर, चना, आलू समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला मन्दसौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. धुन्धड़का 7. सीतामऊ 8. श्यामगढ़ 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायडा समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रतलाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी की फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		राई-सरसों समान.		
4. सेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	1.2	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	5.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	3.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
7. पचोर	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना,मसूर, अलसी, लाख	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		बिगड़ी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, बिगड़ी हुई. गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. वाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रवी फसलों की कटाई का कार्य चालू हैं.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोडाडोंगरी	. .				
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, तुअर अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ बिगड़ी हुई. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .				
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .				
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों, मटर, जौ. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .				
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर बिगड़ी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .				
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	2.5		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	12.1				
3. नैनपुर	13.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	8.7				
5. घुघरी	10.3				
6. नारायणगंज	10.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मसूर, मटर फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, बटरा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हर्रई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. दलहन फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. कोदों-कुटकी, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, तिल, सन, लाख तिवड़ा कम. मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला मुरैना, भिण्ड, पन्ना, देवास, बड़वानी, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(577)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.